लालु बनाम धनी देवी मु. नं. 58/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
29.10.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 58/2019

1 लालू पुत्र लादू आयु 65 साल
2 शांति पत्नी गोपी आयु 70 साल
3 हरिप्रसाद पुत्र गोपी आयु 40 साल
4 सोहन पुत्र गोपी आयु 38 साल
5 बोदू पुत्र गंगा आयु 70 साल
6 नाथूराम पुत्र पीथा आयु 60 साल
7 रतनी देवी पत्नी चौथूराम आयु 50 साल
समस्त जाति माली निवासी ढाणी टीबावाली तन मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 धन्नी देवी पुत्री लच्छुराम पत्नी बोदराम आयु 55 साल जाति माली निवासी पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.. हाल निवासी ढाणी अमरसिंह नगर तन डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
2 रघुनाथ पुत्र गंगा आयु 65 साल जाति माली निवासी ढाणी टीबावाली तन ग्राम मण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
3 उप पंजीयक महोदय, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
4 पटवारी हल्का मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
5 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.05.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
उनवानी प्रकरण लालू आदि बनाम धन्नी
देवी आदि आवेदन मु.नं. 249/2014

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—29.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 249/2014 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने एक प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3878, 3880, 3881, 3882 वाके ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली में बहस हेतु दिनांक 10.04.2018 को आगामी पेशी 29.05.2018 नियत की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को सुचित किये बिना ही न्याय आपके द्वार कैम्प मूण्डरू में उक्त पत्रावली को दिनांक 14.05.2018 तिथि नियत कर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही उक्त पत्रावली का निर्णय कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिया गया। अपीलान्ट को उक्त पत्रावली में 29.05.2018 तारीख पेशी दिये जाने के कारण अपीलान्ट को दिनांक 14.05.2018 मूण्डरू कैम्प में उक्त पत्रावली सुनवाई हेतु नियत होने के बारे में जानकारी नही होने के कारण अपीलान्ट उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रख सका है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। इस कारण उक्त आदेश दिनांक 14.05.2018 निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प मूण्डरू में उक्त पत्रावली पर बिना सुनवाई किये ही अन्तिम आदेश जारी कर अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन निरस्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के बारे में न्यायालय को बताये बिना ही एवं गुणावगुण पर मनन किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया गया है। मृतक रिछपाल अविवाहित 50–55 वर्ष पूर्व घर से बाहर चला गया था तथा मृतक रिछपाल अविवाहित होने के कारण उसके कोई संतान नहीं थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत रूप से ग्राम पंचायत बागरियावास के सचिव व सरपंच से मिलकर गलत रूप से वारिसनामा बनवाया जाकर मृतक रिछपाल के दो वारिस झुंथी देवी एवं धन्नी देवी पुत्री के रूप में दर्शाया गया है। झुंथी देवी के पति का नाम लच्छूराम था, झुंथी देवी पत्नी रिछपाल नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पृथ्वीपुरा में होने की दशा में वह कोई अन्य रिछपाल है। मृतक रिछपाल द्वारा झुंथी देवी से अपने जीवनकाल में विवाह नहं किया गया। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा झुंथी देवी को मृतक रिछपाल की पत्नी होना एवं धन्नी देवी को रिछपाल की पुत्री होना बिना किसी साक्ष्य के ही मानकर उक्त निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त तथ्य का निर्धारण दोनों पक्षों की साक्ष्य दावे में ली जाकर निर्धारण होना है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में ही उक्त तथ्य का निर्धारण कर भारी भुल कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वारिसनामा पूर्णतया गलत होने के बावजुद उक्त वारिसनामों पर विश्वास कर उक्त गलत आदेश पारित किया गया है। इस कारण उक्त आदेश निरस्तनीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में मृतक रिछपाल को अविवाहित होना तथा झुंथी देवी से विवाह नहीं करने का स्पष्ट अंकन किया गया है। धन्नी देवी द्वारा शपथ पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत बागरियावास से वारिस प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया है। उक्त वारिस प्रमाण पत्र गलत रूप से गलत शपथ पत्र के आधार पर तैयार किये जाने के कारण उक्त वारिस प्रमाण पत्र प्रारम्भतया शुन्य होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा इस दस्तावेज पर विश्वास कर गलत निर्णय पारित किया है। इस कारण उक्त आदेश निरस्तनीय है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। पत्रावली के अनुसार रिछपाल पुत्र डालूराम जाति माली निवासी मूण्डरू की विरासत से संबंधित है। रिछपाल के बंटाई हेतु पृथ्वीपुरा जाना जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है। साथ ही प्रार्थीगण ने भी अपने प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 6 में जीवन के अंतिम काल में लच्छुराम की विधवा झुंथी देवी के पास रहना अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। इस कथन को बल ग्राम पंचायत बागरियावास के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र व धन्नी देवी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से मिलता है। प्रार्थीगण द्वारा वारिस प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र को गलत सिद्ध करने बाबत विधिक कार्यवाही किया जाना किसी भी दस्तावेजात से प्रकट नहीं है। मुतनाजा आराजियात के रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीगण उसके लापता होने एवं कब्जे के आधार पर अनुतोष चाह रहे है। अगर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो रिछपाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

के विधिक वारिसान को अधिक असुविधा होगी एवं वे काश्त इत्यादि से मेहरूम होगें। प्रश्नगत आराजियात में अप्रार्थीया धन्नी देवी शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत बागरियावास के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरासतन हक जता रही है। इसका खण्डन किसी भी दस्तावेजात के माध्यम से प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। अगर नामान्तकरण या राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन से रोका जाता है तो धन्नी देवी को अधिक क्षति होने की सम्भावना है। इसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं होगा। साथ ही अप्रार्थीया को इस भूमि में सुधार/हस्तान्तरण के अधिकार से मेहरूम हो जायेगी। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर